

Implemented by

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of:


Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Nuclear Safety and Consumer Protection

of the Federal Republic of Germany



उत्तर प्रदेश में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) के माध्यम से प्लास्टिक प्रबंधन हेतु परामर्शिका

पूर्व तथा पश्च उपभोक्ता
प्लास्टिक अपशिष्ट



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

ADVISORY FOR IMPLEMENTATION OF EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) FOR PLASTIC PACKAGING IN UTTAR PRADESH

Published by

©2023 Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh
The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh

Contributors

Ashish Tiwari, IFS, Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change,
Government of Uttar Pradesh

Circular Economy Solutions Preventing Marine Litter in Ecosystems Project, GIZ India

Rachna Arora, Team Lead, GIZ India
Kartik Kapoor, Consultant, GIZ India
Lalit Sharma, Technical Expert, GIZ India
Naveen Kumar, Technical Expert, GIZ India
Bhumika Puri, Consultant, KPMG
Sachin Oli, Consultant, KPMG

Hindi Translation

Mahendra Pratap Singh, Retd. IFS, Forest Department, Uttar Pradesh

Editorial Design and Layout

Aspire Design, New Delhi

Photo Credits

DoEFCC, GoUP
GIZ India/CES Project
Mathura-Vrindavan Municipal Corporation

Uttar Pradesh, June 2023

विषय सूची:—

महत्वपूर्ण परिभाषाएं	4
संक्षेपाक्षर	5
<hr/>	
1. पृष्ठभूमि	7
1.1 प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 क्या है?	7
1.2 प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 क्यों आवश्यक है?	8
1.3 स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के लिए ई0पी0आर0 कार्यान्वयन के लाभ	8
1.4 ई0पी0आर0 की चुनौतियां	9
<hr/>	
2. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए नई ई0पी0आर0 दिशानिर्देश के घटक	10
<hr/>	
3. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 के अन्तर्गत आने वाले प्लास्टिक के प्रकार	11
<hr/>	
4. पी0आई0बी0ओ0 कौन हैं?	12
<hr/>	
5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता कौन हैं?	13
<hr/>	
6. हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व	14
6.1 पी.आई.बी.ओ.: निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी	14
6.2 पी.डब्ल्यू.पी.: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता	14
6.3 सी.पी.सी.बी.: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	15
6.4 एस.पी.सी.बी.: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	15
6.5 नगरीय स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें	16
<hr/>	
7. नगरीय स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ई0पी0आर0 कार्यान्वयन	17
7.1 मॉडल 1: राजस्व सृजन मॉडल का विकेंद्रीकरण	18
7.2 मॉडल 2: एकीकृत ई0पी0आर0 क्रेडिट ट्रेडिंग मॉडल 1	19
7.3 मॉडल 3: एकीकृत ई0पी0आर0 क्रेडिट ट्रेडिंग मॉडल 2	21



महत्वपूर्ण परिभाषायें

1. **“ब्रांड स्वामी”** से ऐसा व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्री ब्रांड लेबल या व्यापार चिन्ह से कोई वस्तु बेचता है।
2. **“समय अवसान होने पर निपटान”** से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्ठों में) या अपशिष्ट से तेल या भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण आदि के लिए उपयोग करना शामिल है।
3. **“आयातक”** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद या प्लास्टिक पैकेजिंग या कैंरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है।
4. **“पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट”** से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण में रिजेक्ट या डिस्कार्ड के रूप में उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पादक के अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग के पहुंचने से पहले अस्वीकृत करने और फेंकने सहित उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।
5. **“पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट”** से अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता द्वारा पैकेजिंग का इच्छित उपयोग पूर्ण होने और अपने आशयित प्रयोजन के लिए और अधिक प्रयोग न किए जाने के पश्चात् उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।
6. **“उत्पादक”** से कैंरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें पैकेजिंग या वस्तु को लपेटने के लिए पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट या समान सामग्री या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने कवर का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल है।
7. **“पुनर्चक्रणकर्ता”** वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।
8. **“पुनर्चक्रण”** से अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्चे माल में नए उत्पादों के उत्पादन के लिए बदलने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।
9. **“पुनःउपयोग”** से किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का फिर से उसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु की संरचना को बदले बिना उपयोग करना अभिप्रेत है।
10. **“पुनर्चक्रित प्लास्टिक का संरचना”** से वर्जित प्लास्टिक के बजाय पुनर्चक्रित प्लास्टिक को, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना अभिप्रेत है।
11. **“अपशिष्ट प्रक्रिया”** से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, खाद बनाना या निपटान करना अभिप्रेत है।
12. **“अपशिष्ट से ऊर्जा”** से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्ठों में) शामिल है।



संक्षिप्तीकरण

ई०पी०आर०	विस्तारित उत्पादक दायित्व ।
ई०सी०	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ।
जी०पी०	ग्राम पंचायत ।
एम०ओ०ई०एफ०सी०सी०	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ।
एम०एल०पी०	मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकिजिंग ।
एम०आर०एफ०	मटेरियल रिकवरी फसिलिटी ।
एम०एस०पी०	न्यूनतम समर्थन मूल्य ।
पी०आई०बी०ओ०	उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी ।
पी०सी०एफ०	प्लास्टिक कलेक्शन फसिलिटी ।
पी०टी०एफ०	प्लास्टिक से ईंधन ।
पी०पी०पी०	सार्वजनिक निजी भागीदारी ।
पी०डब्ल्यू०पी०	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता ।
पी०डब्ल्यू०एम०	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ।
एस०एच०जी०	स्वयं सहायता समूह
टी०पी०डी०	टन प्रतिदिन ।
डब्ल्यू०टी०ई०	अपशिष्ट से ऊर्जा ।
यू०एल०बी०	नगरीय स्थानीय निकाय ।

1. पृष्ठभूमि

प्लास्टिक की बढ़ती खपत और उसका उचित निस्तारण न होने के कारण प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक रिसाव के कारण होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया गया है और चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को मजबूत करने और प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक के कारण पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बीते वर्षों में इन नियमों में सुधार किये गये हैं।


पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे की स्थायी खपत को बढ़ावा देने के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमवली 2016 के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई0पी0आर0) की शुरुआत करके न केवल स्थानीय निकायों के अधिकारियों बल्कि उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पी0आई0बी0ओ0) को जिम्मेदार बनाया गया है। तदोपरान्त, 18 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश भी अधिसूचित किया गया।

यह परामर्शिका दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0पी0आर0 के नवीनतम दिशानिर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आय का सृजन कर प्लास्टिक कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए सहायक सिद्ध होगा।

1.1 प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 क्या है?

जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में परिभाषित किया गया है, “विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व” (ई0पी0आर0) का तात्पर्य प्लास्टिक उत्पाद के समय अवसान तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए निर्माता की जिम्मेदारी से है।

सरल शब्दों में, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई0पी0आर0) एक अवधारणा है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार उत्पादक (पी0आई0बी0ओ0) को उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाती है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्पादक (पी0आई0बी0ओ0) द्वारा कलेक्ट-बैक सिस्टम की स्थापना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उत्पाद के जीवन के अंत तक निस्तारण (वेस्ट टू एनर्जी, को-प्रोसेसिंग) सुनिश्चित किया जाता है।



चित्र 1 प्लास्टिक पैकेजिंग तंत्र हेतु ई0पी0आर0

1.2 प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 क्यों आवश्यक है?

ई0पी0आर0 एक महत्वपूर्ण नीति है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है और प्लास्टिक वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के कारण होने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करती है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के स्थान पर उत्पादक को जिम्मेदार बनाने हेतु ई0पी0आर0 की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान की गयी है।

ई0पी0आर0 उत्पादकों को उनके उत्पाद डिजाइन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए भी प्रेरित करता है, उदाहरणार्थ सामग्री की खपत को कम करना, अधिक अनुपूरक सामग्री का उपयोग करना और उत्पाद इको-डिजाइन को बढ़ावा देना।



चित्र 2 ई0पी0आर0 के प्रमुख उद्देश्य

1.3 स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ई0पी0आर0 कार्यान्वयन के लाभ

नगरीय स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ई0पी0आर0 ढांचे के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे :



1.4 ई0पी0आर0 की चुनौतियां

ई0पी0आर0 प्रणाली के पर्याप्त लाभों के बावजूद, कार्यान्वयन के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ निम्नवत् हैं

- स्रोत पर अपर्याप्त पृथक्करण।
- उपभोक्ताओं और हितधारकों को ई0पी0आर0 संबंधी दिशानिर्देश और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवाह की अपर्याप्त जानकारी।
- अपशिष्ट संग्रह नेटवर्क की स्थापना अत्यंत जटिल और महंगी होने के कारण औपचारिक टेक-बैंक लॉजिस्टिक्स की स्थापना में कठिनाई।
- अपशिष्ट संग्रह केंद्रों पर कुशल संसाधनों और एम0आर0एफ0 सुविधा की कमी।
- राज्यों के भीतर उत्पन्न और अन्य राज्यों से आयातित प्लास्टिक कचरे की मात्रा में बढ़ोत्तरी।
- अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, दूरी और पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण सुविधाओं में कनेक्टिविटी की कमी के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण में कठिनाई।
- भाग लेने के लिए हितधारकों का प्रतिरोध विशेष रूप से ई0पी0आर0 कार्यक्रम में पंजीकरण और भाग लेने के लिए पी0डब्ल्यू0पी0 की अनिच्छा।
- डेटा और निगरानी तंत्र की कमी।
- तकनीकी मानकों की कमी।

2. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए नई ई0पी0आर0 दिशानिर्देश के घटक

भारत का ई0पी0आर0 कानून यह प्राविधानित करता है कि प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (पी0आई0बी0ओ0) प्लास्टिक और प्लास्टिक पैकेजिंग में चक्रीयता स्थापित करें तथा कलेक्ट-बैक स्कीम की स्थापना कर पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उत्पाद के समय अवसान तक निस्तारण (वेस्ट टू एनर्जी, को-प्रसेसिंग) सुनिश्चित करें। माह फरवरी, 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 दिशानिर्देश जारी करने के साथ प्लास्टिक के कचरे के प्रबन्धन हेतु एक व्यापक अंतर्दृष्टि बनाई गई है।

- नए दिशानिर्देशों के अनुसार ई0पी0आर0 दायित्व और प्राविधान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं, प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माताओं, आयातकों, ब्रांड स्वामियों सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/मार्केट प्लेस और सुपरमार्केट/रिटेल चेन पर लागू होते हैं।
- ई0पी0आर0 अब प्लास्टिक पैकेजिंग के पूर्व-उपभोक्ता और पश्च-उपभोक्ता अर्थात प्लास्टिक पैकेजिंग मैटेरियल के उत्पादन करने वाले निर्माताओं एवं उसका पैकेजिंग में उपयोग करने वाले निर्माताओं दोनों पर लागू होगा।
- ई0पी0आर0 दिशानिर्देश में प्लास्टिक पैकेजिंग की 4 श्रेणियां शामिल हैं कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, मल्टी-लैअर प्लास्टिक पैकेजिंग और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई0पी0आर0 दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल <https://eprplastic.cpcb.gov.in/> स्थापित किया गया है। यह पोर्टल उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (पी0आई0बी0ओ0), पुनर्चक्रणकर्ता/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता के पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदान करने के साथ साथ देश में ई0पी0आर0 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में भी कार्य करता है।
- यह दिशा निर्देश पी0आई0बी0ओ0 हेतु चार विभिन्न श्रेणियों में 25% से 100% तक पुनर्चक्रण के लक्ष्य निर्धारित करता है।
- यह दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग और पैकेजिंग के लिए ताजा प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करना अनिवार्य करता है।
- यह दिशा निर्देश "प्रदूषणकर्ता हेतु भुगतान के सिद्धांत" को बढ़ावा देता है अर्थात पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कम करने के लिए पीआईबीओ द्वारा ई0पी0आर0 लक्ष्यों को पूरा न करने के संबंध में पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का प्राविधान करता है।

ई0पी0आर के महत्वपूर्ण लक्ष्य:



पुनर्चक्रण के माध्यम से ई0पी0आर दायित्वों को पूरा करना (2024 से आगे)



सख्त पैकेजिंग का पुनः उपयोग (ब्रांड स्वामी) (2025 से आगे)



पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग (2025 से आगे)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India

Centralized Extended Producers Responsibility Portal for Plastic Packaging

Home Plastic Waste Management Rules About EPR Dashboards FAQ SOP Important Documents

Material Recovery Facility at Genta Colony, Delhi

EPR Portal for Plastic Packaging

Extended Producers Responsibility (EPR) regime is under implementation in Plastic Waste Management Rules, 2016, according to which it is the responsibility of Producers, Importers and Brand-owners to ensure processing of their plastic packaging waste through recycling, re-use or end of life disposal (such as co-processing/Waste-to-energy/Plastic-to-oil/roadmaking/industrial-composting). In order to streamline implementation process of EPR, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, in its fourth Amendment to the Plastic Waste Management Rules, dated February 16, 2022, notified 'Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging' in the Schedule II of the Rules. As per these guidelines, Producers, Importers and Brand Owners (PEBOs) shall have to register through the online centralized portal developed by the Central Pollution Control Board (CPCB). Accordingly, this portal has been developed to register PIBOs who are operating in more than two States with CPCB and those operating in one or two States/UTs shall be registered with the concerned State Pollution Control Boards (SPCBs). PWPS shall also have to register with the concerned SPCB/PCC in accordance with the provisions of the Section 13(3) of the Plastic Waste Management Rules, 2016 on this centralized portal developed by CPCB. The EPR Portal for Plastic Packaging provides provision for registration of PEBOs/PWPS in accordance with the notified EPR Guidelines. The portal will help in improving accountability, traceability and transparency of fulfillment of EPR Obligations. The portal is planned to have seven modules, which

Sh. Narendra Modi (Hon'ble Prime Minister)

Sh. Bhupender Yadav (Hon'ble Minister of EF&CC)

Sh. Ashwini Kumar Choubey (Hon'ble Minister of State of EF&CC)

The choices that we make today will define our collective future. The choices may not be easy. But through awareness, technology and a genuine global partnership, I am sure we can make the right choices. Let us all join together to beat plastic pollution and make this planet a better place to live.

-Hon'ble Prime Minister of India

सी.पी.सी.बी. द्वारा विकसित केंद्रीकृत ई.पी.आर. पोर्टल (www.eprplastic.cpcb.gov.in)

3. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई0पी0आर0 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के प्रकार

निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणियां विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अंतर्गत शामिल हैं:

श्रेणी-I

सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग

प्लास्टिक सामग्री कोड का उपयोग :



श्रेणी-II

सिंगल लेयर या मल्टीलेयर (विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के साथ एक से अधिक लेयर) की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग

प्लास्टिक सामग्री कोड का उपयोग :



श्रेणी-III

मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)

प्लास्टिक सामग्री कोड का उपयोग :



श्रेणी-IV

पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री के साथ-साथ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने केरी बैग

प्लास्टिक सामग्री कोड का उपयोग :


IS / ISO 17088:2021

“खाद योग्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश” जैसा की समय-समय पर संशोधित किया गया है



4. पीआईबीओ कौन हैं?

पीआईबीओ का अर्थ है विनिर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी जो प्लास्टिक उत्पादों और पैकेजिंग के निर्माण या आयात में शामिल हैं। ईपीआर दायित्वों के निर्वहन के लिए पीआईबीओ को निम्नलिखित श्रेणियों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है:



- I. प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता।
(पी)



- II. सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग के आयातक (उत्पादक) और / या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग।



- III. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/रिटेल चेन सहित ब्रांड स्वामी (बीओ) जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता कौन हैं?

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पी0डब्ल्यू0पी0) वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण के माध्यम से प्रसंस्करण में शामिल हैं, जो ऊर्जा के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा) कर इसे तेल (अपशिष्ट से तेल) में परिवर्तित करती हैं और औद्योगिक कम्पोस्टिंग में कम्पोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करती हैं।

ई0पी0आर0 के दायित्वों और लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पी0डब्ल्यू0पी0 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल (<https://eprplastic.cpcb.gov.in/>) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली संस्थाएं ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय नहीं करेंगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ता जो निम्न कार्य में लगे हैं:

- पुनर्चक्रण
- अपशिष्ट से ऊर्जा (को-प्रासेसिंग करने वाली सीमेंट/स्टील इकाइयां भी शामिल हैं)
- अपशिष्ट से तेल
- औद्योगिक कम्पोस्टिंग

यदि स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत प्लास्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन करते हैं तो ईपीआर लाभ प्राप्त करने के लिए सीपीसीबी द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में पंजीकरण करना होगा

ई.पी.आर. पोर्टल पर पी. डब्ल्यू. पी (PWP) के रूप में पंजीकृत करने के लिए ड्रॉपडाउन मेनू से प्रक्रिया कोड का चयन किया जाना है:

- R1: Recycling of CAT-I PW to Pellet/Chips
- R2: Recycling of CAT-II PW to Pellets/Chips
- R3: Recycling of CAT-III PW to Pellets/Chips/fibers
- R4: Recycling of CAT-I PW to Products
- R5: Recycling of CAT-II PW to Products
- R6: Recycling of CAT-III PW to make Products
- C1: Processing CAT-IV PW for industrial composting
- E1: End of life PW co-processing in cement plants
- E2: End of life PW co-processing in steel plants
- E3: End of life PW processing in Waste to Energy plants
- E4: End of life PW processing in Waste to Oil Units

अंत तक निस्तारण

केवल वे प्लास्टिक, जिन्हें पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है जीवन निपटान के अंत के लिए भेजा जाएगा जैसे कि अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, इंडियन रोड कांग्रेस या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण।



प्लास्टिक से तेल बनाने की सुविधा, मथुरा-वृंदावन नगर निगम

6. हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए हितधारकों की भूमिका विस्तारित उत्पादक दायित्व दिशानिर्देश नवीनतम अधिसूचना के नियम 10,11,12 एवं 13 में परिभाषित की गयी है। यह दिशानिर्देश नगरीय स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारी को सीधे परिभाषित नहीं करते हैं परन्तु स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ई0पी0आर0 रेगुलेशन से लाभान्वित अवश्य हो सकते हैं। ई0पी0आर0 ढांचे को लागू करने के लिए नीचे उल्लिखित बिन्दु सुनिश्चित करने की आवश्यकता है :

6.1 उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी

6.1.1 उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा।

6.1.2 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पी0डब्ल्यू0एम0) नियम, 2016 के अधीन पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, श्रेणी-वार जहां लागू हो, पर जानकारी युक्त कार्ययोजना प्रस्तुत/अपलोड करेगा। यह कार्ययोजना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण की अवधि को कवर करेगी।

6.1.3 ब्रांड स्वामी (जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/खुदरा श्रृंखला शामिल है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से भिन्न हैं) किसी उत्पादक और/या आयातक से खरीदी गई प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी) और सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग या आयातक (आई) के अधीन अलग से प्रस्तुत/अपलोड करेगा। ब्रांड स्वामी पर लागू होने वाला प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी) और सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग या आयातक (आई) के अधीन आने वाले प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए मात्रा को उत्पादक और आयातक की बाध्यता से घटाया जाएगा। ब्रांड स्वामी द्वारा खरीदी गई श्रेणी-वार मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा।

6.1.4 प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी) और सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग या आयातक (आई) के अधीन आने वाले उत्पादक और आयातक ब्रांड स्वामी (बी0ओ0) जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/खुदरा श्रृंखला शामिल है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से भिन्न है के अधीन आने वाले ब्रांड स्वामी को उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। श्रेणीवार बिक्री की गयी मात्रा सहित ऐसे विक्रय का रिकॉर्ड उत्पादक और आयातक द्वारा अलग-अलग रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी के बीच संव्यवहार की घोषणा का प्रति-परीक्षण करेगा।

पी0आई0बी0ओ0 के उत्तरदायित्व:

- ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण
- ई0पी0आर0 कार्ययोजना प्रस्तुत करना
- दायित्व निर्वहन:-
 - पुनर्चक्रीकरण
 - पुनर्चक्रीकृत सामग्री का उपयोग
 - पुनः उपयोग
 - अन्त तक निस्तारण।
 - प्लास्टिक के संग्रहण और पुनर्प्राप्ति।
 - वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना।
 - प्रमाण-पत्र हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराना (प्लास्टिक क्रेडिट)

4

- 6.1.5 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को सीधे पूरा करने के लिए उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली उदाहरण के तौर पर जमा वापसी प्रणाली या पुनः खरीद (बाय बैक) या कोई अन्य मॉडल जैसी योजना संचालित कर सकता है। यह कदम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने से रोकेगा।
- 6.1.6 उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून (अप्रैल-विलोपित) तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एकत्र और प्रसंस्कृत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग और या पुनर्चक्रित सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत/अपलोड की जाएगी। उन पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण भी दिया जाएगा जिनसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक की खरीद की गई है।

6.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका (औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं सहित पुनर्चक्रणकर्ताओं या अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता):

- 6.2.1 सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध 13(3) के अनुसार सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
- 6.2.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की श्रेणी-वार वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 6.2.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी की वार्षिक आधार पर प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की कुल मात्रा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6.2.4 यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) ढांचे के अधीन संचालन से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 6.2.5 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पी0डब्ल्यू0एम0) नियम, 2016 के अधीन पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग के मामले को छोड़कर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामले में जहां सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्रोफॉर्मा में एक स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) बाध्यताओं को पूरा करने के लिए केवल पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 6.2.6 पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा पर होगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रमाण-पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी-वार होंगे और इसमें उद्यम का जी0एस0टी0 डेटा सम्मिलित होगा।

6.2.7 पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण-पत्र पंजीकृत उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी या स्थानीय अधिकारियों के नाम पर, जैसा लागू हो, सहमत तौर-तरीकों के आधार पर होना चाहिए। प्रमाण-पत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केन्द्रीय पोर्टल पर जारी होगा।

6.2.8 प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के समय अवसान समाप्ति निपटान अर्थात् अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टे (सह-प्रसंस्करण/को-प्रोसेसिंग) का कार्य करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केन्द्रीय पोर्टल पर वार्षिक आधार पर विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। ये संस्थाएं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति से नियामक निकायों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, सुसंगत नियमों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का जीवन काल समाप्ति निपटान सुनिश्चित करेंगी।

5

यदि सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया गया है तो पी0आई0बी0ओ0 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर सी0पी0सी0बी0 से विकसित प्रारूप में स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

6.3 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका:

6.3.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

6.3.2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, जैसा भी उचित समझा जाएगा, के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी के अनुपालन का सत्यापन करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता के अनुपालन का सत्यापन भी कर सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले पी0आई0बी0ओ0 के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

6.3.3 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी की सूची प्रकाशित करेगा जो अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक वार्षिक आधार पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) लक्ष्य और बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।

6.3.4 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्ध-वार्षिक आधार पर अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा।

6.3.5 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेष रूप से खंड 7.6 के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

6

यदि PWP₂ उत्पाद बनाने के लिए प्लास्टिक के चिप्स PWP₁ से खरीद रहा है, इस स्थिति में PWP₂ क्रेडिट उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उस टन भार प्लास्टिक का श्रेय का दावा PWP₁ पहले से ही किया जा चुका है।

6.4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की भूमिका

6.4.1 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करणकर्ता/सीमेंट भट्टियों/प्लास्टिक से ईंधन इकाईयां/अपशिष्ट से ऊर्जा इकाईयां की मैपिंग करने हेतु सम्बन्धित स्थानीय नगरीय निकायों का सहयोग करेगा।

6.4.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी (एक या दो राज्यों में कार्यरत) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को पंजीकृत करेगा।

6.4.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन संस्थाओं (अपवाद रिपोर्ट) की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) जिम्मेदारियों को

पूरा नहीं किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और उसे ई0पी0आर0 पोर्टल पर अपलोड करेगा।

- 6.4.4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्र किए गए मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगी।

6.5 नगरीय स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें

- 6.5.1 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत सीमा के 100 किमी के भीतर पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधनकर्ता/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करण सुविधाओं/सीमेंट भट्टों/प्लास्टिक से ईंधन/अपशिष्ट से ऊर्जा इकाईयों का मानचित्रण करेंगी।
- 6.5.2 स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों में स्थापित अपशिष्ट से ऊर्जा, प्लास्टिक से ईंधन या किसी अन्य प्लास्टिक प्रसंस्करण सुविधा का ई0पी0आर0 के केन्द्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया जायेगा।
- 6.5.3 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत विकेंद्रीकृत प्लास्टिक संग्रह सुविधाओं/सामग्री वसूली सुविधाओं (एम0आर0एफ0)की व्यवस्था करेगा।
- 6.5.4 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को दिया जाए।
- 6.5.5 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी के साथ हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना सुनिश्चित करेंगी।
- 6.5.6 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।
- 6.5.7 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समय-समय पर क्षमता विकास गतिविधियों का आयोजन करेंगी।
- 6.5.8 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें कचरा संग्रहण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विविध उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी को सम्मिलित करेंगी।
- 6.5.9 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें प्लास्टिक कचरे के संग्रह और पृथक्करण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे संग्रहणकर्ताओं को सम्मिलित करेंगी।
- 6.5.10 स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र/क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।

7. नगरीय स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) कार्यान्वयन

उत्तर प्रदेश राज्य में 734 नगरीय स्थानीय निकाय और 58189 ग्राम पंचायतें हैं जो 5.53 लाख टन से अधिक अपशिष्ट उत्पादन करती हैं (वार्षिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट 2021-22)। प्लास्टिक उत्पादन, खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि के कुप्रभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2018 से सभी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु विभिन्न उपायों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर पर विचार कर रही है। इन उल्लेखनीय उपायों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध की निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, सरकारी और निजी संस्थानों में हरित प्रोटोकॉल का संचालन, और प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, पुनर्चक्रण और सह-अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता शामिल हैं। उक्त के अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में पुनर्चक्रण को शामिल करने के लिए राज्य सरकार का उद्देश्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई0पी0आर0) के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य में प्लास्टिक के विकल्प और पर्यावरण-डिजाइन को बढ़ावा देना है।


ई0पी0आर0 तंत्र के कार्यान्वयन के लिए कोई एक ई0पी0आर0 मॉडल राज्य में लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए, ई0पी0आर0 तंत्र के कार्यान्वयन में आसानी के लिए और प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विनिर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिए इस समग्र मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित विभिन्न मॉडल अपनाये जाने का सुझाव देता है:



734
नगरीय
स्थानीय
निकाय



58189
ग्राम पंचायत



प्लास्टिक अपशिष्ट का
उत्पादन

**5.53 लाख
टन सालाना**

7

ई0पी0आर0 / प्लास्टिक क्रेडिट

ई0पी0आर0 / प्लास्टिक क्रेडिट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी के लिए आयोजित पुनर्चक्रण प्रक्रिया के निष्पादन का प्रमाण है।

जब उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी (पी0आइ0बी0ओ0) अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्त, पुनर्नवीनीकरण या अन्तिम निस्तारण के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पी0डब्लू0पी0) के साथ जुड़ता है, पीडब्लूपी द्वारा पी0आइ0बी0ओ0 को प्रदान की गई सेवा में निर्धारित शर्तों और लागत पर प्लास्टिक / ई0पी0आर0 क्रेडिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

पी0डब्लू0पी0 द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक / ई0पी0आर0 क्रेडिट प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु उनके द्वारा खरीद और बिक्री के जीएसटी चालान जमा करके प्रमाणित कराया जायेगा।

7.1 मॉडल 1 राजस्व सृजन मॉडल का विकेंद्रीकरण

मॉडल की उपयुक्तता

- ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय की जनसंख्या 3 लाख या उससे कम।
- कुल प्लास्टिक कचरा 10 टी0पी0डी0 या उससे कम
- पी0आई0बी0ओ0 जिनका प्लास्टिक उत्पादन 10 टी0पी0डी0 या उससे कम है।

मॉडल 1 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पी0आई0बी0ओ0 के सहयोग से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं अनौपचारिक कचरा संग्राहकों के साथ साझेदारी में हस्तचालित/सेमी मैकेनाइज्ड एम0आर0एफ0 के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना और एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु कौशल भारत मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को तैयार कर कार्यवाही करना।

मुख्य घटक

- विकेंद्रीकृत हस्तचालित/अर्ध-यांत्रिक एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 की स्थापना
- एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 के संचालन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।
- एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से कार्यवाही करना।
- एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु कौशल भारत मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन/कौशल विकास।
- सड़क निर्माण में गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का उपयोग।

इस मॉडल को लागू करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- 7.1.1 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपनी सीमा के 100 कि0मी0 के भीतर पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधनकर्ता/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करण सुविधाओं/सीमेंट भट्टों/प्लास्टिक से ईंधन/अपशिष्ट से ऊर्जा इकाईयों का मानचित्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से किया जायेगा।
- 7.1.2 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस/प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान में सहयोग के लिए पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइकलर्स को शामिल करने के लिए समझौता किया जायेगा।
- 7.1.3 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और पृथक्करण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल किया जायेगा।
- 7.1.4 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइकलर्स के सहयोग से समझौते के आधार पर अनौपचारिक कचरा संग्राहकों के साथ साझेदारी में विकेंद्रीकृत हस्तचालित/अर्ध-यांत्रिक सामग्री वसूली सुविधा/प्लास्टिक संग्रह सुविधा का विकास किया जायेगा।
- 7.1.5 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक उत्पादों का पृथक्करण करने और उसे वापस करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों/कीमतों पर मुद्रित एक पूर्वनिर्धारित बाइ-बैक मूल्य के साथ उपभोग किए गए प्लास्टिक उत्पाद को वापस खरीदने के लिए पी0आई0बी0ओ0 के सहयोग से जमा वापसी योजनाएं शुरू की जायेंगी।
- 7.1.6 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकृत पी0डब्ल्यू0पी0 के माध्यम से ही प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।
एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 के पुनर्चक्रण/उपचक्रण के लिए लगे एस0एच0जी0, पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में पुनर्चक्रणकर्ता की श्रेणी के तहत पंजीकृत होंगे।
- 7.1.7 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करेंगी।
- 7.1.8 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु कौशल भारत मिशन के साथ स्वयं सहायता समूहों का गठन/कौशल विकास की कार्यवाही करेंगी। इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा बिजनेस प्लान बनाकर बैग, पाउच, सजावट, गद्दे और उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग/अपसाइक्लिंग कर उनका विक्रय किया जायेगा।

8

एम0एल0पी0/एस0यू0पी0 के पुनर्चक्रण/अपसाइक्लिंग में लगे हुए एस0एच0जी0 को ई0पी0आर0 पोर्टल पर पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में रीसाइकलर्स की श्रेणी के तहत रजिस्टर करें।

- 7.1.9 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय भागीदारी वाले पी0आई0बी0ओ0 और पी0डब्ल्यू0पी0 के साथ (3R) सिद्धांत के अनुरूप प्लास्टिक कचरे को घटाने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर नागरिकों और अन्य हितधारकों के बीच आवश्यक जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- 7.1.10 ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय पी0डब्ल्यू0पी0 से ई0पी0आर0 क्रेडिट/आर0डी0एफ0 का मूल्य प्राप्त करेंगे।
- 7.1.11 केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ई0पी0आर0 क्रेडिट प्रमाण पत्र पी0डब्ल्यू0पी0 को अधिकृत कर या सीधे पी0आई0बी0ओ0 विक्रय कर सकता है।
- 7.1.12 ई0पी0आर0 क्रेडिट/प्रमाणपत्र की निविदा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर विक्री की जा सकती है।



चित्र 3: राजस्व सृजन विकेंद्रीकरण का मॉडल

9

पी0डब्ल्यू0पी0 को पंजीकृत करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को बेचने के लिए समझौते द्वारा एक राजस्व प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है ताकि ईपीआर क्रेडिट उत्पन्न हो सकें।

7.2 मॉडल 2: एकीकृत ई0पी0आर0 क्रेडिट ट्रेडिंग मॉडल-1

मॉडल की उपयुक्तता

- ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक 10.1 लाख तक।
- कुल प्लास्टिक कचरा 10 टीपीडी से अधिक 25 टीपीडी तक।
- पीआईबीओ जिनका प्लास्टिक उत्पादन 10 टीपीडी से अधिक 25 टीपीडी तक।

मॉडल 2 यू0एल0बी0 विभिन्न पी0आई0बी0ओ0 के साथ साझेदारी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। इस मॉडल को लागू करने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय को ई0पी0आर0 क्रेडिट का व्यापार करने के लिए सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।


मुख्य घटक

- प्लास्टिक कचरे का संरचना सर्वेक्षण और एम0एस0पी0 अध्ययन आयोजित करना
- विकेंद्रीकृत यांत्रिक/अर्ध-यांत्रिक एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 की पी0 पी0 पी0 मॉडल पर स्थापना
- एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 के संचालन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।
- एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु इकाईयां स्थापित करना।

इस मॉडल को लागू करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- 7.2.1 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपनी सीमा के 100 कि0मी0 के भीतर पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधनकर्ता/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करण सुविधाओं/सीमेंट भट्टों/प्लास्टिक से ईंधन/अपशिष्ट से ऊर्जा इकाईयों का मानचित्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से किया जायेगा।
- 7.2.2 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस/प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान में सहयोग के लिए पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइक्लर्स को शामिल करने के लिए निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 7.2.3 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और पृथक्करण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल किया जायेगा।
- 7.2.4 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकृत पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0 के साथ पृथक कचरा संग्रहण और परिवहन प्रणाली स्थापित करेगा।
- 7.2.5 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइक्लर्स के सहयोग से पी0 पी0 पी0 मॉडल पर अनौपचारिक कचरा संग्राहकों के साथ साझेदारी में 5 टीपीडी तक की क्षमता के विकेंद्रीकृत अर्ध-यांत्रिक/यांत्रिक सामग्री वसूली सुविधा/प्लास्टिक संग्रह सुविधा का विकास किया जायेगा।
- 7.2.6 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक उत्पादों का पृथक्करण करने और उसे वापस करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों/कीमतों पर मुद्रित एक पूर्वनिर्धारित बाइ-बैक मूल्य के साथ उपभोग किए गए प्लास्टिक उत्पाद को वापस खरीदने के लिए पी0आई0बी0ओ0 के सहयोग से जमा वापसी योजनाएं शुरू की जायेंगी।
- 7.2.7 नगरीय स्थानीय निकाय सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकृत पी0डब्ल्यू0पी0 के माध्यम से ही प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
- 7.2.8 यदि आस-पास कोई अंतिम निस्तारण सुविधा उपलब्ध नहीं है तो यू0एल0बी0 2 टीपीडी तक क्षमता की पीटीएफ/डब्ल्यूटीई सुविधा स्थापित करेगा।
- 7.2.9 नगरीय स्थानीय निकाय गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करेंगे।
- 7.2.10 नगरीय स्थानीय निकाय भागीदारी वाले पी0आई0बी0ओ0 और पी0डब्ल्यू0पी0 के साथ (3 आर) सिद्धांत के अनुरूप प्लास्टिक कचरे को घटाने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर नागरिकों और अन्य हितधारकों के बीच आवश्यक जागरूकता अभियान चलाएंगे।

- 7.2.11 नगरीय स्थानीय निकाय पी0डब्ल्यू0पी0 से ई0पी0आर0 क्रेडिट/आर0डी0एफ0 का मूल्य प्राप्त करेंगी।
- 7.2.12 केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ई0पी0आर0 क्रेडिट प्रमाण पत्र पी0डब्ल्यू0पी0 को अधिकृत कर या सीधे पी0आई0बी0ओ0 विक्रय कर सकता है।
- 7.2.13 ई0पी0आर0 क्रेडिट/प्रमाणपत्र की निविदा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर विक्री की जा सकती है



चित्र 4: एकीकृत ई0पी0आर0 क्रेडिट ट्रेडिंग मॉडल

7.3 मॉडल 3: एकीकृत ई0पी0आर0 क्रेडिट ट्रेडिंग मॉडल-2

मॉडल की उपयुक्तता

- ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय की जनसंख्या 10.1 लाख से अधिक।
- कुल प्लास्टिक कचरा 25 टी0पी0डी0 से अधिक।
- पीआईबीओ जिनका प्लास्टिक उत्पादन 25 टी0पी0डी0 से अधिक।

मॉडल 3 बड़े ई0पी0आर0 लक्ष्यों वाले बड़े ब्रांडों के साथ जुड़ कर ई0पी0आर0 के कार्यान्वयन के बड़े दायरे को कवर करेगा। यू0एल0बी0 ई0पी0आर0 क्रेडिट का व्यापार करने के लिए सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में पंजीकृत होगा।

मुख्य घटक

- प्लास्टिक कचरे का संरचना सर्वेक्षण और एम0एस0पी0 अध्ययन आयोजित करना।
- प्लास्टिक कचरे का संरचना सर्वेक्षण और एम0एस0पी0 अध्ययन आयोजित करना।
- विकेंद्रीकृत यांत्रिक एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 की पी0 पी0 पी0 मॉडल पर स्थापना।
- एम0आर0एफ0/पी0सी0एफ0 के संचालन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।
- एस0यू0पी0/एम0एल0पी0 पैकेजिंग कचरा के प्रसंस्करण हेतु इकाईयां स्थापित करना।
- रिफिल करने योग्य मॉडल को बढ़ावा देना।

इस मॉडल को लागू करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- 7.3.1 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपनी सीमा के 100 किमी के भीतर पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधनकर्ता/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करण सुविधाओं/सीमेंट भट्टों/प्लास्टिक से ईंधन/अपशिष्ट से ऊर्जा इकाईयों का मानचित्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से किया जायेगा।
- 7.3.2 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस/प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान में सहयोग के लिए पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइक्लर्स को शामिल करने के लिए निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 7.3.3 प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और पृथक्करण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल किया जायेगा।
- 7.3.4 नगरीय स्थानीय निकाय सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकृत पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0 के साथ पृथक कचरा संग्रहण और परिवहन प्रणाली स्थापित करेगा।
- 7.3.5 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पी0आई0बी0ओ0/पी0डब्ल्यू0पी0/रीसाइक्लर्स के सहयोग से पी0 पी0 पी0 मॉडल पर अनौपचारिक कचरा संग्राहकों के साथ साझेदारी में पर्याप्त क्षमता के विकेंद्रीकृत पूर्णतः यांत्रिक सामग्री वसूली सुविधा/प्लास्टिक संग्रह सुविधा का विकास किया जायेगा।
- 7.3.6 नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक उत्पादों का पृथक्करण करने और उसे वापस करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों/कीमतों पर मुद्रित एक पूर्वनिर्धारित बाइ-बैक मूल्य के साथ उपभोग किए गए प्लास्टिक उत्पाद को वापस खरीदने के लिए पी0आई0बी0ओ0 के सहयोग से जमा वापसी योजनाएं शुरू की जायेंगी।
- 7.3.7 नगरीय स्थानीय निकाय पी0आई0बी0ओ0 के सहयोग से प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए रिफिल करने योग्य मॉडल को बढ़ावा देगा।
- 7.3.8 नगरीय स्थानीय निकाय सी0पी0सी0बी0 द्वारा केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकृत पी0डब्ल्यू0पी0 के माध्यम से ही प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
- 7.3.9 यदि आस-पास कोई अंतिम निस्तारण सुविधा उपलब्ध नहीं है तो नगरीय स्थानीय निकाय पर्याप्त क्षमता की पी0डब्ल्यू0पी0/डब्ल्यू0टी0ई0/गैसिफिकेशन सुविधा/कोई अन्य प्लास्टिक प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करेगा और सी0पी0सी0बी0 द्वारा पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण करेगा।

- 7.3.10 नगरीय स्थानीय निकाय गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करेंगे।
- 7.3.11 नगरीय स्थानीय निकाय भागीदारी वाले पी0आई0बी0ओ0 और पी0डब्ल्यू0पी0 के साथ (3 आर) सिद्धांत के अनुरूप प्लास्टिक कचरे को घटाने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर नागरिकों और अन्य हितधारकों के बीच आवश्यक जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- 7.3.12 नगरीय स्थानीय निकाय पी0डब्ल्यू0पी0 से ई0पी0आर0 क्रेडिट/आर0डी0एफ0 का मूल्य प्राप्त करेंगे।
- 7.3.13 केंद्रीकृत ई0पी0आर0 पोर्टल पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ई0पी0आर0 क्रेडिट प्रमाण पत्र पी0डब्ल्यू0पी0 को अधिकृत कर या सीधे पी0आई0बी0ओ0 विक्रय कर सकता है।
- 7.3.14 ई0पी0आर0 क्रेडिट/प्रमाणपत्र की निविदा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर बिक्री की जा सकती है।
- 7.3.15 नगरीय स्थानीय निकाय अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरपालिका कचरे का एक संरचना सर्वेक्षण करेगा।

ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई0पी0आर0 मैकेनिज्म से आय सृजन:

1. ग्राम पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक वेस्ट के उचित पृथक्करण कर उसे पी0डब्ल्यू0पी0 को विपणन कर आय सृजित की जा सकती है।
2. यदि ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय स्वयं के स्तर पर अपसाईकिलिंग/रिसाईकिलिंग/वेस्ट टू इनर्जी/गैसीफिकेशन इत्यादि कर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भी करते हैं तो वे पी0डब्ल्यू0पी0 के रूप में पंजीकृत होकर ई0पी0आर0 क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पी0आई0बी0ओ0 को विक्रय किया जा सकता है। इससे आय अधिक होगी।
3. ई0पी0आर0 क्रेडिट सी0पी0सी0बी0 द्वारा बनाये गये पोर्टल पर जनरेट होंगे। ई0पी0आर0 क्रेडिट प्लास्टिक कचरे के प्रकार के अनुसार वर्गवार जनरेट होंगे।
4. सी0पी0सी0बी0 के पोर्टल पर जनरेटेड ई0पी0आर0 क्रेडिट के सम्बन्ध में पोर्टल के माध्यम से पी0आई0बी0ओ0 द्वारा देखकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय से सम्पर्क कर क्रय किया जा सकेगा।
5. ई0पी0आर0 क्रेडिट से होने वाली आय को एम0आर0एफ0 का संचालन करने वाली संस्था एवं अनौपचारिक क्षेत्र के स्वच्छता कर्मियों के साथ साझा किया जा सकता है।
6. ग्राम पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ई0पी0आर0 क्रेडिट के विक्रय का आगम प्राप्त होने पर सी0पी0सी0बी0 पोर्टल के माध्यम से ई0पी0आर0 क्रेडिट क्रेता पी0आई0बी0ओ0 को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।

Uttar Pradesh Plastic Waste Management Conclave 2022

Implementation of EPR in the state of Uttar Pradesh

